न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—181/2024/223 आर.टी.एक्ट (2024/181)

1. देवेश्वर प्रसाद गुप्ता पुत्र रामेश्वर प्रसाद जाति अग्रवाल निवासी फाईसागर रोड पुलिस चौकी के सामने पुष्कर रोड अजमेर।

अपीलांट

वनाम

1. शिवशंकर फतेहपुरिया पुत्र रामेश्वरलाल फतेहपुरिया जाति अग्रवाल निवासी 2 औकार नगर अजमेर।
2. कमला बंसल पत्नि सुरेश बंसल
3. जमना बंसल पत्नि प्रेम प्रकाश बंसल
4. प्रतिभा बंसल पत्नि पुखराज अग्रवाल
   समस्त जाति अग्रवाल निवासी नया बाजार अजमेर।
5. दीपिका फतेहपुरिया पत्नि हरीश कुमार फतेहपुरिया जाति अग्रवाल निवासी औकार नगर अजमेर।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, अजमेर।
7. उप पंजीयक, अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर, अजमेर द्वारा दिनांक 19.06.2024 राजस्व वाद संख्या 16/2022 में पारित किया गया।

उपस्थितः—

1. श्री, प्रशांत वर्मा, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री सुजाता सागर अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री मृणाल शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5
4. श्री, विकास पाराशर, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 6 व 7

निर्णय

दिनांकः— 05.02.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर(मु0), अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 16/2022 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.06.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादी/अपीलांट व शेष रेस्पोडेंट के विरूद्ध न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.62024 को वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किया जाकर निर्णय व डिक्री पारित की गई। अतः अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

सहायक कलेक्टर(मु0), अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 16/2022 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.06.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा काश्तकार को बिना विधिवत साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए एवं बिना जवाब का प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किए ही निर्णय पारित किया है। उक्त वाद में प्रतिवादी/अपीलांट से जवाबदावा प्रस्तुत करवाकर दावा व जवाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी का तनकीवार निर्णित करना चाहिए था किंतु परीक्षण न्यायालय ने उक्त वाद में बिना तनकीयात कायम किए ही वादी/रेस्पोडेंट का वाद स्वीकार कर डिक्री किया गया है। रेस्पोडेंट उक्त निर्णय व डिक्री की पालना में अपीलांट के कब्जे काश्त व खातेदारी हक हिस्से की आराजी में मजाहमत व मदाखलत उत्पन्न करेगा तथा अपीलांट को अपने हक व हिस्से की आराजी से बेदखल करने का–प्रयास करेगा इस तथ्य को परीक्षण न्यायालय ने नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। उक्त उनवानी वाद में प्रतिवादी/अपीलांट की ओर से दिनांक 10.6.2024 को अधिवक्ता ने वकालतनामा प्रस्तुत कर जवाब हेतु समय चाहा गया जिस पर दिनांक 18.6.2024 की पेशी नियत की गई तथा दिनांक 18.6.2024 को न्यायिक कार्य स्थगित होने के कारण प्रकरणों में कॉमन तारीख पेशी नियत की गई थी किंतु परीक्षण न्यायालय ने उक्त वाद में दिनांक 19.6.2024 की तारीख पेशी नियत कर उसी दिन बिना प्रतिवादी/अपीलांट को सुने ही वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री करने में त्रुटि कारित की है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर(मु0), अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 16/2022 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.06.2024 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने अपील जवाब/बहस में वर्तमान रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 लगायत 05 की खातेदारी एवं सह–काश्तकारी की कृषि आराजीयात ग्राम कांकरदा भूणाबाय पटवार हल्का रसूलपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गगवाना तहसील व जिला अजमेर के खाता संख्या नया व पुराना 319 खसरा नंबर 554 रकबा 0.1500 हेक्टेयर बारानी–2 तथा खाता संख्या नया व पुराना 318 खसरा नंबर 557 रकबा 0.4000 है, खसरा 558 रकबा 0.2400 है0 अवस्थित है। उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/4 वां हक हिस्सा तथा प्रतिवादीगण का जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार हक व हिस्सा निहित है। जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से अपने–अपने हिस्से पर संयुक्त रूप से कब्जे काश्त चले आ रहे है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य न्यायिक बंटवारा नहीं हुआ है। वादग्रस्त आराजीयात का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स न्यायिक विभाजन नहीं होने से प्रतिवादीगण, वादी के संयुक्त कब्जे काश्त में दखलंदाजी एवं

सहायक अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

मदाखलत उत्पन्न करने तथा बेदखली का नाजायज प्रयास करने तथा वादी की खातेदारी की आराजीयात को अन्यत्र रहन, बेचान, मुतंकिल अथवा अन्यथा हस्तान्तरण करने पर सख्त आमादा है। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिनट् एवं बाउण्ड के अनुसार विभाजन किये जाने का निवेदन किया।-अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद दिनांक 19.6.2024 को स्वीकार किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय विधि सम्मत है, निर्णय पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की गई है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

6. हमने अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन किया जाना उचित समझते है। वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिनांक 25.03.2022 को पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किए गए। दिनांक 28.4.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 5 के अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश कर जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। दिनांक 27.7.2023 के प्रतिवादी संख्या 04 की तलबी वादी अभिभाषक आज ही रजिस्टर्ड ए0डी0 पेश करे व पेश होने पर जारी हो बाबत आदेश किए गए। दिनांक 27.5.2024 को प्रतिवादी संख्या 4 की तलबी हेतु रजिस्टर्ड ए0डी0 जारी किया गया। दिनांक 10.6.2024 को प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। दिनांक 19.6.2024 को वादी अभिभाषक द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 का जवाब बंद किए जाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निवेदन किया व प्रतिवादी संख्या 6 व 7 प्रकरण में फोर्मल पक्षकार हैं अतः इनका जवाब भी बंद किया जावे। वादी अभिभाषक के निवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 4, 6 व 7 का जवाब बंद किया जाकर दिनांक 19.6.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी कि गई।

उक्त विवादित आराजीयात वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 की संयुक्त खातेदारी एवं सहकाश्तकारी की आराजीयात है जो ग्राम कांकरदा भूणाबाव पटवार हल्का रसूलपुरा तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित है। खाता संख्या नया 319 के खसरा नम्बर 554 रकबा 0.1500 किस्म बारानी 2 का अपीलांट 1/6 हिस्से व खाता संख्या 318 के खसरा नम्बर 557, 558 कुल किता 2 कुल रकबा 0.6400 में अपीलांट का 1/6 हिस्सा निहित है व शेष रेस्पोडेंटस का पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी अनुसार उनका हक हिस्सा निहित है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका से स्पष्ट है कि उक्त वाद में प्रतिवादी/अपीलांट की ओर से दिनांक 10.6.2024 को उनके अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया व उनके अधिवक्ता द्वारा जवाब हेतु समय चाहा गया परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक खातेदार/काश्तकार को बिना सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किए उक्त प्रकरण में उनका जवाब दिनांक 19.6.2024 को बंद

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई है, जो प्रथम दृष्टया ही त्रुटिपूर्ण है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.6.2024 को अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अगली पेशी पर ही बिना अपीलांट को जवाब प्रस्तुत करने का एक भी अवसर प्रदान किए प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए दिनांक 19.6.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई जो न्याय की मंशा के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है, क्योंकि की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद में प्रतिवादी/अपीलांट से जवाबदावा प्राप्त कर उक्त दावे व जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी का तनकीवार विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया जाना चाहिए था किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का जवाब बंद कर बिना सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किए व उक्त वाद में बिना तनकीयात कायम किए वादी/रेस्पोडेंट का वाद स्वीकार कर डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री पारित किए जाने में विधिक त्रुटि कारित की गई है।

उपरोक्त विवेचन के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्र विधि सम्मत नहीं होने से उनके द्वारा पारित निर्णय व डिक्री खारिज किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किए जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर(मु0), अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 16/2022 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.06.2024 को निरस्त किया जाकर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को वाद पत्र में जवाब प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त जवाब के आधार पर तनकीयात कायम कर वाद में प्रत्येक तनकी का विस्तृत विवेचन करते हुए प्रकरण को पुनः गुणावगुण पर निर्णित करे। उभयपक्षकारन को अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर(मु0), अजमेर के समक्ष दिनांक 14.02.2025 को उपस्थित रहने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 05.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

05/02/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner